भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4019

(जिसका उत्तर 09 दिसम्बर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4019. श्री के. परसुरमनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पास अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में पर्याप्त अवसंरचना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ऋण सुविधाओं के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ संयोजन में आरआरबी हेतु राष्ट्रीय स्तरीय शीर्ष निकाय को निर्मित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) आरआरबी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): मार्च 2016 तक, पूरी तरह से विकसित 20,904 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 56 आरआरबी और 27 राज्यों तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 644 अधिसूचित जिलों को कवर करते हुए 6300 से अधिक अत्यंत लघु शाखाएं संचालन में हैं।

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उचित तकनीक को अपनाया है और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए कोर बैंकिंग समाधान में स्थानांतरण किया है। इसके अतिरिक्त, 31 मई, 2016 की स्थिति के अनुसार, 56 आरआरबी में से 50 के पास बिक्री केन्द्र प्रमाण-पत्र हैं। कंप्यूटरीकरण के बढ़ने के साथ, वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर अपने उपभोक्ताओं को एनईएफटी/आरटीजीएस, रूपे, केसीसी, एटीएम कार्ड और अन्य तकनीक रूप से सक्षम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में आरआरबी सक्षम हैं।

आरआरबी के सभी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं सामान्यत: निजी अथवा किराए के पक्के परिसर में स्थित हैं। इसके अलावा, आरआरबी द्वारा लगभग 36000 उपभोक्ता सेवा केन्द्रों (सीएसपी)/कारोबार प्रतिनिधि बिक्री केन्द्र खोले जाने से ग्रामीण पहुंच और अवसंरचना का सृजन हुआ है।

कुछ आरआरबी ने स्टाफ के आंतरिक प्रशिक्षण के लिए अपने निजी प्रशिक्षण अवसंरचना का गठन किया है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड.): डॉ. के. सी. चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात को सुधारने के लिए आरआरबी का पुन: पूंजीकरण संबंधी समिति की रिपोर्ट) के आधार पर भारत सरकार ने 2200 करोड़ रुपए (भारत सरकार 1100 करोड़ रुपए, प्रायोजक बैंक 770 करोड़ रुपए और राज्य सरकारें 330 करोड़ रुपए) की पुन: पूंजीकरण सहायता के लिए 40 आरआरबी की पहचान कर ली है। 31 मार्च, 2016 तक 20 राज्यों में 38 आरआरबी को 2208.62 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई।

दिनांक 12.05.2015 को अधिसूचित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी को 5 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है।

सभी अधिकारियों, जिसमें आरआरबी के अध्यक्ष शामिल हैं, को वित्तीय प्रबंधन, संगठनात्मक विकास, आईटी और एचआर से संबंधित पहलुओं जैसे कई प्रमुख क्रियाशील क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसने आरआरबी के स्टाफ को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान, कौशल और व्यवहार के विकास में मदद की है।

*****